

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील पंचायत संख्या 08/2011 (2011/00021) जिला – नागौर

ग्राम पंचायत गोटन, पंचायत समिति मेडता मार्फत श्री नारायण सिंह सरपंच, ग्राम पंचायत गोटन तहसील मेडता जिला नागौर।

---- अपीलार्थी

### बनाम

श्री कालूराम पुत्र मोतीराम जाति दायमा, निवासी गोटन, तहसील मेडता, नागौर

----प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994, अंतर्गत धारा 97 ए(2), विरुद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 09.02.2011 अन्तर्गत पुनरीक्षण संख्या 49/2010 बउनवान कालूराम बनाम ग्राम पंचायत गोटन को निरस्त करने बाबत् ।

- उपस्थित – 1. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड एवं गिरीश पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी ।  
2. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक प्रत्यर्थी ।

### निर्णय

दिनांक :-08.02.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम पंचायत गोटन ने नवनिर्मित बस स्टैण्ड से अपनी आय बढ़ाने के लिए 20 दुकानों का निर्माण कराया। इन 20 दुकानों को किराये पर दिये जाने हेतु ग्राम पंचायत गोटन ने दिनांक 12.4.2001 को एक विज्ञप्ति जारी की और उसे राजस्थान पत्रिका दिनांक 14.4.2001 में प्रकाशित कराया गया यथा :-

1. ईच्छुक बोलीदाता को रूपये 2000/- उसी दिन सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक धरोहर राशि जमा करवानी होगी ।
2. प्रत्येक दुकान की बोली अलग अलग लगेगी ।

3. अन्तिम बोलीदाता को रूपये 10000/- अमानत राशि के रूप में जमा करवाने होंगे जिसका 50 प्रतिशत बोली स्थल पर व 50 प्रतिशत एक सप्ताह के अन्दर पंचायत कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
4. अन्तिम बोलीदाता व पंचायत के बीच किरायेदारी इकरारनामा निष्पादित कराना होगा जिसमें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत किराया बढ़ोतरी की शर्त शामिल होगी। किरायेदारी इकरारनामा दिनांक 30.4.2001 के पहले करना होगा।
5. निलामी बोली रद्द करने का अधिकार निलामी कमेटी को होगा ।

उक्त विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम पंचायत ने दिनांक 16.04.2001 को 20 दुकानों की निलामी बोली लगवाई व दुकानें आवंटित की गई परन्तु कुछ दिन बाद बस स्टेण्ड से बसों का ठहराव होना बन्द हो गया। इसलिए ग्राम पंचायत ने अग्रिम कार्यवाही नहीं की क्योंकि दुकानदारों की मांग थी कि पहले बसों का ठहराव सुनिश्चित किया जावे और बाद में नवगठित ग्राम पंचायत ने प्रयास कर पुनः बसों का ठहराव करवाया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत गोटेन की बैठक दिनांक 21.3.2005 में प्रस्ताव सं. 3 व बैठक दिनांक 6.4.2005 में प्रस्ताव सं. 1 में निर्णय करते हुए ग्राम पंचायत की निलामी दिनांक 12.4.2001 में प्रस्तावित शर्तों को यथावत रखते हुए इन सभी दुकानों का आवंटन किरायेदारों को आवंटित करने का निर्णय किया गया। इस पर प्रत्यर्थी कालूराम को नोटिस क्रमांक 24 दिनांक 13.4.2005 को जारी किया गया। इस नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी कालूराम द्वारा उसको पूर्व में आवंटित दुकान संख्या 13 की अमानत राशि निलामी शर्त के अनुसार रसीद नं. 09 दिनांक 19.4.2005 से रूपये 5000/- पंचायत में जमा करवाये गये और दुकान का विधिवत आवंटन किया गया। दुकान की सुर्पुदगी प्रत्यर्थी को दिनांक 20.4.2005 को की गई। उक्त दुकान का किराया निलामी से प्रतिमाह 950/- रूपये तय किया गया परन्तु आवंटी द्वारा दुकान का इकरारनामा नहीं करवाया गया व न ही किराया जमा करवाया गया। इस पर अपीलार्थी ग्राम पंचायत गोटेन ने श्री कालूराम को नोटिस क्रमांक 131 दिनांक 6.12.2005 बाबत किरायेदार इकरारनामा प्रस्तुत करने व बकाया किराया जमा कराने का दिया गया जो प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि को तामिल हुआ। प्रत्यर्थी ने न तो किराया जमा करवाया व न ही किरायेदारी इकरारनामा प्रस्तुत किया और न ही उक्त नोटिस का कोई प्रत्युत्तर दिया। दुबारा ग्राम पंचायत ने नोटिस क्रमांक 152 दिनांक 29.12.2005 को दिया गया जो प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि को तामिल हुआ, परन्तु इसके उपरान्त भी अप्रार्थी ने न तो इकरारनामा प्रस्तुत किया, न ही उसने बकाया किराया जमा करवाया और न ही उक्त नोटिस का कोई प्रत्युत्तर ही दिया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ने निर्णय कर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 164(4) के तहत दुकानें खाली करवाने हेतु विकास अधिकारी मेडता के मार्फत सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर को निवेदन किया। ऐसे 15 दुकानदार थे इनमें से एक प्रत्यर्थी कालूराम भी है। इस पर विकास अधिकारी मेडता ने अपने पत्र क्रमांक 54 दिनांक 10.2.2006 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

नागौर को नियमानुसार पंचायत राज नियम 164 (4) के तहत दुकानें खाली करवाने हेतु निवेदन किया। इस पर सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रकरण संख्या 11/2006 पर पजीबद्ध कर नोटिस क्रमांक 2895 दिनांक 3.5.2006 जारी किया जो प्रत्यर्थी के पुत्र किशन को तामिल हुआ। दूसरा नोटिस संख्या 6052 दिनांक 10.08.2006 जारी किया जो भी प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि को तामिल हुआ। तीसरा नोटिस दिनांक 4.9.2006 को जारी किया, जो प्रत्यर्थी के पुत्र रामावतार शर्मा को तामिल हुआ। इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी व उसके वकील ने किसी तरह का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। दोनों पक्षों को सुना जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 111 और नियम 164 (4) के तहत कार्रवाई करते हुए राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के तहत प्रत्यर्थी कालूराम को विवादित दुकान संख्या 13 में अतिक्रमी घोषित किया गया और इसलिए दुकान से प्रत्यर्थी कालूराम को बेदखल करने के आदेश दिये गये। अतिक्रमी को 10 दिन का अवसर देते हुए आदेश अतिक्रमी को डाक द्वारा तामिल करवाने/आवंटित दुकान पर चस्पा करने के आदेश दिये गये। साथ ही दिनांक 20.04.2005 से प्रत्यर्थी से 950/- प्रति माह की दर से एक वर्ष के उपरान्त प्रति वर्ष 10 प्रतिशत राशि बढ़ा कर निर्धारित किराया मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज सहित बनने वाली समस्त राशि वसूल करने के आदेश दिये गये। इस निर्णय की एक प्रति अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर को भेजकर उन्हें निर्देश दिये गये कि वे राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9 पराज-6/2005/20 दिनांक 08.08.2005 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रत्यर्थी/अप्रार्थी से समस्त बकाया राशि वसूल कर ग्राम पंचायत गोटन के खाते में जमा कराने के आदेश भी दिये गये।

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर तत्कालीन अप्रार्थी व वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा एक निगरानी संख्या 49/2010 बउनवान कालूराम बनाम ग्राम पंचायत गोटन न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा 09.02.2011 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी कालूराम (वर्तमान प्रत्यर्थी) की निगरानी गुणावगुण पर दोनो पक्षों को सुना जाकर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर निगरानी को निरस्त किया गया तथा प्रकरण ग्राम पंचायत गोटन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि ग्राम पंचायत आवंटी कालूराम के द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि एवं अन्य जमा राशि कुल रूपये 10,000 रूपये मात्र को जब्त कर पंचायत को उसके संबन्धित मद में जमा करावें तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के तहत एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिक प्रक्रिया

अपनाते हुए नये सिरे से पुनः उक्त दुकान नम्बर 13 के आवंटन हेतु नीलामी कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत गोटन स्वतंत्र है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 09.02.2011 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलार्थी ग्राम पंचायत गोटन (निगरानी में संस्थित अप्राथी) द्वारा यह प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलार्थी की और से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 09.02.2011 को निर्णय पारित किया गया था जिसकी सूचना ग्राम पंचायत, गोटन के अधिवक्ता द्वारा ग्राम पंचायत को दिये जाने पर ग्राम पंचायत, गोटन के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर को सूचित किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर द्वारा दिनांक 23.06.2011 को सरपंच ग्राम पंचायत, गोटन को अपर जिला कलक्टर नागौर के निर्णय दिनांक 09.02.2011 के विरुद्ध चुनौती दिये जाने के निर्देश दिये गये जो सरपंच ग्राम पंचायत, गोटन को 25.06.2011 को प्राप्त हुए। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर से निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित किया गया। अधिवक्ता की राय पर बिना कोई विलम्ब किये यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को जानकारी होने के पश्चात् प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा बिना विलम्ब किये न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानते हुए निर्णित करने के आदेश प्रदान किये जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के द्वारा मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया और इसी सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रकरण के गुणावगुण(मैरिट) पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थीगण के द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य-मुख्य तर्क दिये कि न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर का निर्णय कानून एवं न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और निचली अदालतों के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर को निगरानी बाबत दी गई शक्तियां संशोधित अधिसूचना द्वारा रद्द कर दी गई थी और पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 की शक्तियां राज्य सरकार को सौंप दी गई थी। इसलिए पंचायत अधिनियम के तहत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 में प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा सुना और निर्णय लिया जा सकता था लेकिन प्रत्यर्थी ने गलत तरीके से अपर जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष निगरानी पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के बावजूद दायर की। इसलिए अपर जिला कलक्टर, नागौर के निर्णय को अपास्त एवं खारिज किया जावे।

सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-139(5)/पंचायतराज विभाग/शिक्षा/2000/ 294 दिनांक 01-2-02 के अनुसार राज्य सरकार की पिछली अधिसूचना 03-12-96 में संशोधन किया गया और धारा 97 के तहत दी गई अतिरिक्त जिला कलक्टर की शक्तियों को राज्य सरकार को सौंप दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर का वर्तमान निर्णय बिना किसी तारीख के पारित किया गया था, लेकिन इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दिनांक 04-8-10 के पत्र द्वारा दी गई थी। उस समय अतिरिक्त जिला कलक्टर के पास पंचायत अधिनियम के पुनरीक्षण के लिए कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए अपर जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 09.02.2011 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वह न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर द्वारा अपीलाधीन निर्णय में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 111 एवं राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1996 के नियम 164(4) के तहत प्रत्यर्थी श्री कालूराम को दुकान नम्बर 13 में अतिक्रमी घोषित किया गया था और उसे उक्त दुकान से बेदखल करने के भी आदेश दिये गये थे, जो सही थे। साथ ही दिनांक 20.04.2005 से रूपये 950/- प्रतिमाह 1 वर्ष के उपरान्त प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर निर्धारित किराया मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज की बनने वाली समस्त राशि वसूल करने के आदेश भी दिये गये थे। न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर ने न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर के निर्णय को गलत ठहराया और दुकान के किराए को जमा करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया। न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा किराया वृद्धि राशि व इस वृद्धि के आधार पर वसूल योग्य राशि पर 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज के बारे में भी कोई निर्देश नहीं दिये है। न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर ने अपना निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है। इस निर्णय से ग्राम पंचायत, गोटन को वित्तीय नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इसलिए न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर का निर्णय दिनांक 09.02.2011 विधिविरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा

निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर और न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर का निर्णय दिनांक 09.2.2011 को खारिज किया जावे और अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रदान किये जावें।

अपीलार्थी अभिभाषक की बहस के जवाब में प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर उसमें प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि यह अपील अपर जिला कलक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 09.02.2011 के विरुद्ध पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97-ए(2) के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 97-ए(2) के तहत केवल जिला परिषद के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अति जिला कलक्टर के आदेश के विरुद्ध नहीं। अतः न्यायालय हाजा को उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण अपील निरस्त की जावें।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की सुनी गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया तथा संबधित अभिलेख का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट होते हैं कि न्यायालय हाजा में यह प्रस्तुत अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर के निर्णय दिनांक 04.08.2010 मु0न0 11/2006 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2011 अन्तर्गत पंचायत निगरानी संख्या 49/2010 बउनवान कालूराम बनाम ग्राम पंचायत गोटन में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी अभिभाषक की बहस के जवाब में प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित बहस में उठाये गये इस कानूनी बिन्दू से मैं सहमत हूँ कि न्यायालय हाजा में यह अपील अपर जिला कलक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 09.02.2011 के विरुद्ध पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97-ए(2) के तहत प्रस्तुत की गई है जो कि इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार विहीन है। धारा 97-ए(2) के तहत केवल जिला परिषद के आदेश के विरुद्ध ही संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील की जा सकती है, अति जिला कलक्टर के आदेश के विरुद्ध नहीं। अतः उक्त अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से इसे सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से खारिज (निरस्त) की जाती है।

(डॉ वीना प्रधान)  
संभागीय आयुक्त,  
अजमेर